

न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर

प्रकरण सं. 111/2017

दर्ज दिनांक:-16.10.2017

सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री हरीसिंह जाति जाट निवासी नगला केवल मजरा पीरनगर तह. व जिला भरतपुर।

.....वादी

बनाम

1. हरीसिंह पुत्र स्व. श्री शिवसिंह
 2. विनोद कुमार
 3. रीना कुमारी
 4. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामजीलाल निवासी नगला केवल ग्राम पीरनगर तह. व जिला भरतपुर।
 5. तसमीरी पत्नी वीरीसिंह
 6. सन्तोष पुत्र स्व. वीरीसिंह
 7. राज्य सरकार जरिए पैरोकार तहसीलदार साहब, भरतपुर।
- जाति जाट निवासी नगला केवल मजरा पीरनगर तहसील व जिला भरतपुर।
- पिसरान श्री हरीसिंह
- जाति जाट निवासी नगला केवल मजरा पीरनगर तह. व जिला भरतपुर।

.....प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक:-23.09.2019

वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रतिवादीगण सं. 2 लगायत 7 की तलवी हेतु अवसर दिए गए। किन्तु वादी द्वारा तलवी नहीं कराई गई है। तलवी हेतु अन्तिम अवसर भी दिए गए, साथ ही दिनांक 25.07.2019 को तलवी न करने पर दावा अपालना में खारिज करने की चेतावनी भी दी जा चुकी प्रतीत होता है कि वादी अपने दावा के प्रति सजग नहीं है। ऐसी स्थिति में दावा वादी 09-R5 CPC के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द. हो।

(SANJAY GOYAL)

सहायक कलक्टर, भरतपुर